नरेगा में भुगतान की स्थिति : एक शोध

सहयोगी संस्थाऐं

सर्व कल्याण संस्थान (जमुई), लोक विकास संस्थान (जमुई),

गाँधी गोल्डन ट्रस्ट (देवघर), सेवा भारती (बोंसी)

भूमिका

ग्रामीण भारत में आजीविका की सुरक्षा के मद्देनज़र राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंतु पिछले अनुभव और गंभीर अनियमितताओं की निरंतर आने वाली ख़बरें यह प्रश्न उठाते हैं कि वास्तविक स्वरूप में नरेगा किस हद तक लोगों को आजीविका और सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और किस हद तक इस अधिनियम के तहत लोगों को ऐसा रोजगार मिल पा रहा है जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बना सके। इसी प्रश्न के साथ यह प्रश्न भी उपस्थित होता है कि नरेगा किस हद तक लोगों के बीच अपनी पहुँच बना सका है और लोग की नरेगा जैसी योजनाओं में कितनी रुचि है। इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रारंभिक तौर पर बिहार राज्य के तीन जिलों में नरेगा में भुगतान से संबंधित एक अध्ययन किया जिसमें प्रत्येक जिले से दो ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक से दो पंचायतें और प्रत्येक पंचायत से दो गाँवों को अध्ययन क्षेत्र के रूप में लिया गया था।

अध्ययन क्षेत्र और वर्ग

- बिहार राज्य के 3 जिलों – बाँका, जमुई और समस्तीपुर के 24 गाँवों में तकरीबन 250 नरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मज़दूरों का साक्षात्कार किया गया।
- जिन मजदूरों का साक्षात्कार किया गया उनमें 12 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 51 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एस.सी.) और 37 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) समुदाय के थे।
- नरेगा के अंतर्गत कार्य करते वाले में सबसे अधिक लगभग एक तिहाई (36 प्रतिशत) लोग 31–40 आयुवर्ग के थे और लगभग एक चौथाई (26 प्रतिशत) लोग 40–50 आयुवर्ग के थे। इसके अतिरिक्त 20–30 एवं 50–60 आयुवर्ग के लोगों की संख्या 10 व 15 प्रतिशत के आसपास थी।
- नरेगा में काम करने वाले जिन लोगों का साक्षात्कार लिया गया उनमें से कुछ की उम्र 18 वर्ष से कम भी पाई गई।
- काम करने वाले मजदूरों में पुरुषों की संख्या 78 प्रतिशत पाई गई जबकि महिलाओं की संख्या कुल 22 प्रतिशत।
- अध्ययन में पाया गया कि 34 प्रतिशत लोगों को पूरे वर्ष में 20 दिन से भी कम काम मिला है। 40 प्रतिशत लोगों को 20 से 50 दिन के बीच काम मिला और सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों को 80 दिन से अधिक काम मिला।

भुगतान संबंधी तथ्य

- अध्ययन में पाया गया कि 66 प्रतिशत मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम दर पर भुगतान प्राप्त हुआ है।
- 28 प्रतिशत मजदूरों को 70 से 88 रु. के बीच व 30 प्रतिशत मजदूरों को 50 से 70 रु. के बीच भुगतान प्राप्त हुआ है।

- 32 प्रतिशत लोगों को कार्य की सूचना ठेकेदार द्वारा, 33 प्रतिशत को पंचायत रोजगार सेवक द्वारा, 24 प्रतिशत को मेट द्वारा प्राप्त हुई। अन्य लोगों को अन्यत्र माध्यमों की कार्य की सूचना प्राप्त हुई।
- बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा भुगतान का प्रावधान होने के बावजूद सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों को भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस से प्राप्त हो रहा है।
- 35 प्रतिशत लोगों को ठेकेदार द्वारा, 28 प्रतिशत लोगों को पंचायत रोज़गार सेवक द्वारा नकद भुगतान प्राप्त होता है। शेष लोगों को भी मुखिया, मेट आदि के द्वारा नगद भुगतान प्राप्त होता है।
- 15 प्रतिशत मजदूर स्वयं बैंक/पोस्ट ऑफिस से स्वतंत्र रूप से अपना भुगतान प्राप्त करते हैं जबकि तकरीबन 15 प्रतिशत मजदूरों के withdrawl form पर दस्तखत लेकर रोजगार सेवक या ठेकेदार द्वारा बैंक/पोस्ट ऑफिस से राशि निकाली जाती है और बाद में बैंक/पोस्टऑफिस परिसर में ही मजदूरों को भुगतान वितरित किया जाता है।
- 21 प्रतिशत मजदूरों को मुखिया/ठेकेदार के घर पर प्रदान किया जाता है।
- 6 प्रतिशत ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें मुखिया/ठेकेदार के घर पर पोस्टमास्टर ने आकर भुगतान प्रदान किया।
- 40 प्रतिशत लोगों को कार्यस्थल/स्वयं के घर पर/गाँव में अन्यत्र स्थान पर नकद भुगतान प्राप्त हुआ।
- केवल 10 प्रतिशत लोगों ने अपने बचत खाते का इस्तेमाल करते हुए बैंक/पोस्टऑफिस से बिना किसी की मध्यस्थता के भुगतान निकाला जबकि 20 प्रतिशत लोगों द्वारा बैंक/पोस्टऑफिस से भुगतान प्राप्ति में पंचायत रोजगार सेवक अथवा ठेकेदार की मध्यस्थता रही।
- 52 प्रतिशत लोगों को नकद भुगतान प्राप्त हुआ, जबकि कई लोगों का बैंक/पोस्ट ऑफिस में बचत खाता भी है।
- तकरीबन 70 प्रतिशत लोगों का अभी तक बैंक/पोस्ट ऑफिस में बचत खाता नहीं है।
- 55 प्रतिशत मजदूरों ने कहा कि उन्हें किये गए कार्य का भुगतान एक माह से भी अधिक समय के उपरांत प्राप्त हुआ है। कई मजदूरों ने यह भी बताया कि कार्य पूर्ण होने के एक माह के बाद उन्हें भुगतान प्राप्त हुआ है।
- केवल 7 प्रतिशत मजदूरों को एक सप्ताह के अंदर भुगतान प्राप्त हो सका है। 15 दिन की अवधि में भी जिन्हें भुगतान प्राप्त हो सका है ऐसे मजदूरों की संख्या भी 7 प्रतिशत है।

अन्य तथ्य

- भुगतान में विलंब होने के कारण होने वाली परेशानियों से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में सभी ने जिन परेशानियों का उल्लेख किया उनमें से प्रमुख कुछ इस प्रकार हैं –
    - पैसों के अभाव में दैनिक खर्चों के लिए ऋण लेना पड़ता है, जिस पर ब्याज भी देना होता है।

- दैनिक आपूर्ति/भोजन इत्यादि के लिए भी सामग्री उधार खरीदनी पड़ती है। अधिक समय तक उधारी रह जाने पर दुकानदार उस पर भी ब्याज लगाता है। कई बार उधार लेने पर सामग्री की कीमत ज्यादा लगाई जाती है।
- स्वास्थ्य संबंधी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

- नरेगा से लाभ संबंधी एक प्रश्न के जवाब में 42 प्रतिशत लोगों ने कहा कि नरेगा से लाभ हुआ है जबकि 57 प्रतिशत लोगों ने इस प्रश्न का जवाब नहीं में दिया। केवल 1 प्रतिशत लोगों ने इस प्रश्न का जवाब देने में अपनी असमर्थता जताई।
- जिन लोगों ने नरेगा से लाभ होने की बात कही उनसे जब पूछा गया कि उन्हें क्या लाभ हुआ है तो उनमें से 17 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें गाँव में ही काम प्राप्त हुआ और 6 प्रतिशत लोगों ने कहा कि नरेगा से गाँव में सम्पत्ति का निर्माण हुआ है।
- आगे भी नरेगा में काम करना चाहते हैं या नहीं, प्रश्न के जवाब में 61 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे आगे भी नरेगा में काम करना चाहते हैं जबकि 38 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे नरेगा में आगे काम नहीं करना चाहते।
- हाँ में जवाब देने वाले लोगों से जब पूछा गया कि वे क्यों नरेगा में काम करना चाहते हैं तो जो उत्तर सर्वाधिक संख्या में मिला वह था कि गाँव में रोजगार का कोई और साधन नहीं है इसलिए। दूसरी ओर जब यही प्रश्न उन लोगों से पूछा गया जो नरेगा में काम नहीं करना चाहते तो उनका उत्तर था कि समय पर भुगतान न मिलने के कारण वे काम नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसी स्थिति में न तो वे कहीं और मजदूरी करने जा पाते हैं और न ही अपने परिवार का भरण–पोषण कर पाते हैं।
- नरेगा में लोगों की रूचि कितनी है यह जानने के लिए पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में 21 प्रतिशत लोगों का कहना था कि अब भी लोगों की नरेगा में पर्याप्त रूचि है जबकि 64 प्रतिशत लोगों का कहना था कि अब लोगों की धीरे–धीरे नरेगा से रूचि कम होती जा रही है और इसके पीछे प्रमुख कारण भुगतान का विलंब से और निर्धारित से कम होना है।
- भुगतान प्रक्रिया संबंधी सुझावों में 42 प्रतिशत लोगों का कहना था कि 7 दिनों में भुगतान हो जाना चाहिए। 20 प्रतिशत लोगों का कहना था कि अधिकतम 15 दिनों में भुगतान हो जाना चाहिए।
- सभी लोगों का इस बात के लिए भरपूर आग्रह रहा कि भुगतान बैंक/पोस्टऑफिस से ही बचत खाते के माध्यम से मिलना चाहिए ताकि पूरी मजदूरी मिल सके। यदि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लगता है तब भी अधिकतम 15 दिनों में भुगतान हो जाना चाहिए क्योंकि कोई भी मजदूर परिवार 15 दिन से अधिक समय तक बिना राशि के अपना गुजारा नहीं कर सकता। समय पर और निर्धारित मजदूरी मिल सके इसके लिए सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए।
- लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि कार्य का वितरण क्षमतानुसार होना चाहिए क्योंकि अधिक उम्र वाले मजदूर युवा मजदूरों के बराबर काम नहीं कर सकते, जबकि दैनिक जरूरतें दोनों की लगभग बराबर ही होती हैं।

- लोगों का यह भी सुझाव रहा कि वर्तमान मंहगाई को देखते हुए मजदूरी की दर में वृद्धि की जानी चाहिए और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मजदूरों को साल में 100 दिन काम दिया जाएगा।

निष्कर्ष

अध्ययन के निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण भारत के जिस वर्ग को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने के का ध्येय नरेगा में अंतर्निहित था, इन जिलों की वर्तमान स्थिति से स्पष्ट होता है कि वह पूर्णतः असफल रहा है। तकरीबन 68 प्रतिशत मजदूरों को निर्धारित से कम मजदूरी का भुगतान हुआ है, मात्र 10 प्रतिशत मजदूरों को पूरे वर्ष में 80 से अधिक दिन काम मिला है, और 34 प्रतिशत (जो कि काफी बड़ा हिस्सा है) मजदूरों को 20 से भी कम दिन का काम मिला है। इसके अतिरिक्त भुगतान की प्रक्रिया में जिस प्रकार बिचौलियों की मौजूदगी है और वे जिस प्रकार ग़रीब मजदूरों का शोषण कर रहे हैं यह अपने आप में एक चिंतनीय विषय है। यह भी गौरतलब है कि बैंक/पोस्टऑफिस से मजदूरी भुगतान (बचत खाते द्वारा) होने का प्रावधान होने के बावजूद अब तक तकरीबन 70 प्रतिशत मजदूरों का खाता नहीं खोला गया है और जिन 30 प्रतिशत मजदूरों का खाता खोला गया है उनमें से भी मात्र 10 प्रतिशत मजदूर ही बिना किसी की मध्यस्थता के स्वतंत्रता पूर्वक अपना भुगतान बैंक/पोस्टऑफिस से प्राप्त कर पा रहे हैं। वहीं सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कानून में अधिकतम 15 दिनों में भुगतान हो जाने का प्रावधान होने के बावजूद तकरीबन 55 प्रतिशत मजदूरों को भुगतान एक माह से भी अधिक समय के उपरांत प्राप्त होता है। जिन मजदूरों को इस निर्धारित समयावधि में भुगतान हो जाता है उन्हें बैंक/पोस्टऑफिस से भुगतान प्राप्त नहीं होता, नकद प्राप्त होता है इसलिए स्पष्ट है कि निर्धारित मजदूरी से कम मिलती है। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इन जिलों में नरेगा मजदूर वर्ग के जीवन स्तर में सुधार तो नहीं कर पा रहा अपितु उन पर कर्ज, भूख और शोषण को बढ़ाने में सहायक की भूमिका ज़रूर निभा रहा है।